

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-

विकास आयुक्त -सह- अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक-08.09.2026 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पन्द्रहवीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मगध ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप, गया जी के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना, 2047 (प्रारूप) पर गजट में प्रकाशन के माध्यम से 60 दिनों तक आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु उक्त प्रारूप को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक-7920, दिनांक-29.07.2026 द्वारा निर्णित मगध ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में क्रय-विक्रय/हस्तांतरण पर लगी रोक अधिसूचना निर्गत की तिथि से हटाई जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मनोज कुमार)

अपर सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

अपर सचिव

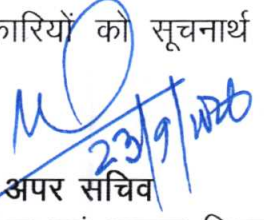
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-09/न०वि०(टाउनशिप)-03/2026 ~~10189~~ न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-~~24/09/2026~~

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/अध्यक्ष, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-समाहर्ता-सह जिला निबंधक, गया जी/जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग